जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07.03.2023**

आज दिनांक 07.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसा निकालने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसा निकालने के मामले में अभियुक्त हरदेव प्रसाद पुत्र हाकिम प्रसाद निवासी परसौनी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को विभिन्न बैंकों के 35 अदद एटीएम कार्ड व 24,600 रु0 नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण में वादी श्री अशोक कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 पलकधारी निवासी डेल्हापार जनपद बस्ती द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उसके पुत्र द्वारा खलीलाबाद स्थित एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने के दौरान कुछ परेशानी होने पर पास में खड़े अज्ञात व्यक्ति से पैसा निकालने में मदद मांगने पर उसके द्वारा एटीएम बदलकर धोखे से पैसा निकाल लिया गया था। जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 214/2023 धारा 406/420/411 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी गोला बाजार उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 कोमल प्रसाद, हे0का0 पंकज कुमार यादव, का0 छोटेलाल।

धनघटा पुलिस द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 137/2023 धारा 363/366/120बी भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता विशाल कुमार पुत्र बिरजू निवासी रामपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 03.03.2023 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 06.03.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 07.03.2023 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी पौली उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, का0 संतोष यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता मीरा देवी पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार निवासी भागौसा थाना बेलहरकलां को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 46/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

गिरफ्तारी टीम – हे0का0 उदय नारायण, हे0का0 अर्जुन आर्या, म0आ0 कोमल देवी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3305 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत गोरखल से इवेन्ट संख्या 08071 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (शोभित शर्मा पुत्र राजकिशोर शर्मा निवासी शिवसरा थाना कोतवाली खलीलाबाद) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 01 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राइवेट वाहन से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 जगदीश कुमार, हो0चा0 सुरेन्द्र शर्मा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनो से 41,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 41,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।